

भारतीय महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजना और चुनौतियों पर अध्ययन

डॉ. कंचन जैन, शिक्षाशास्त्र विभाग, सनराइज विश्वविद्यालय

शोध सार

यह शोध पत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और सरकारी योजना और महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत की महिलाएं अपेक्षाकृत रूप से अशक्त हैं और सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद उन्हें पुरुषों की तुलना में कुछ हद तक कम दर्जा प्राप्त है। यह पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान लिंग मानदंडों की स्वीकृति अभी भी समाज में प्रचलित है। अध्ययन इस अवलोकन के साथ समाप्त होता है कि शिक्षा तक पहुंच, रोजगार और सामाजिक संरचना में बदलाव ही महिलाओं के लिए सक्षम कारक हैं। आज महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप से महिला सशक्तिकरण अभी भी वास्तविकता का भ्रम है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार महिलाएँ विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार बनती हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की संसाधन रखने और रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता का विस्तार करने का महत्वपूर्ण साधन है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक स्थिति। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, मानदंड, निहितार्थ, चुनौतियाँ।

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
2. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानने के लिए जागरूकता का आकलन करना।
3. महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

यह प्रस्तुत शोध पत्र मूलतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध पत्र भारत में सशक्तिकरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, उपयोग किया गया डाटा इस अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार पूर्ण रूप से द्वितीयक स्रोतों से है।

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक ताकत को बढ़ाना है। भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर है जिसमें भौगोलिक स्थिति (शहरी/ग्रामीण), शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय (पंचायत) स्तर पर नीतियां मौजूद हैं। हालाँकि सामुदायिक स्तर पर नीतिगत प्रगति और वास्तविक अभ्यास के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण में एक समाज, एक राजनीतिक माहौल का निर्माण शामिल है, जिसमें महिलाएं उत्पीड़न, शोषण, आशंका, भेदभाव और उत्पीड़न की सामान्य भावना के डर के बिना सांस ले सकती हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान संरचना में एक महिला होने के साथ जुड़ी होती है। महिलाएं

दुनिया की आबादी का लगभग 50: हिस्सा हैं, लेकिन भारत में लिंग अनुपात अनुपातहीन है, जिससे महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में कम है। जहां तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाज में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक विकलांगताएं और भेदभाव पाए जाते हैं। विडम्बनापूर्ण स्थिति यह रही कि उन्हें कभी देवी तो कभी केवल दासी के रूप में देखा जाने लगा।

साहित्य की समीक्षा

- **सेथुरमन के. (2008)** दक्षिण भारत में एक जनजातीय और ग्रामीण समुदाय में बाल विकास और अल्प पोषण में महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा की भूमिका। यह शोध पत्र ग्रामीण और आदिवासी समुदाय में 6 से 24 महीने की उम्र के बच्चों में महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा, मातृ पोषण स्थिति और छह महीने में पोषण की स्थिति और वृद्धि के बीच संबंधों का पता लगाता है। यह अनुदैर्घ्य अवलोकन अध्ययन ग्रामीण कर्नाटक में किया गया। भारत में आदिवासी और ग्रामीण विषय शामिल थे।
- **वेंकट रवि और वेंकटरमन (2005)** ने महिलाओं की भागीदारी और पारिवारिक मामलों और समूह गतिविधियों दोनों में निर्णय लेने पर नियंत्रण पर एसएचजी के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया।
- **डोएपके एम. टर्टिल्ट एम. (2011)** क्या महिला सशक्तिकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है? यह अध्ययन एक अनुभवजन्य विश्लेषण है जो बताता है कि माताओं के हाथ में पैसा बच्चों को लाभ पहुंचाता है। इस अध्ययन ने यह समझने के लिए गैर-सहकारी पारिवारिक सौदेबाजी मॉडल की एक श्रृंखला विकसित की कि किस प्रकार के घर्षण देखे गए अनुभवजन्य संबंधों को जन्म दे सकते हैं।
- **एच. सुब्रमण्यम (2011)** भारत में वर्तमान और अतीत में महिला शिक्षा की तुलना करते हैं। लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्कूलों में छात्राओं के समग्र नामांकन में अच्छी प्रगति हुई है। सशक्तीकरण शब्द का अर्थ है कार्य करने के लिए वैध शक्ति या अधिकार देना। यह महिलाओं की कुछ गतिविधियों को अर्जित करने की प्रक्रिया है।

- **एम. भवानी शंकर राव (2011)** ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एसएचजी की महिला सदस्यों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महिला सदस्य अन्य सदस्यों और उनके बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आपस में चर्चा करती हैं और उन्हें विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विभिन्न सरकारी प्रावधानों से अवगत कराती हैं।
- **डुप्लो ई. (2011)** महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो कैम्ब्रिज अध्ययन का तर्क है कि सशक्तिकरण और विकास के अंतर्संबंध शायद आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत कमजोर हैं और अपने स्वयं के लिए समान रूप से निरंतर नीति प्रतिबद्धता हो सकती है पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए यह आवश्यक है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध महिलाओं के प्रति अपराध सीधे तौर पर भारत में महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर एक रिपोर्ट चौंकाने वाले आंकड़े सामने है। प्रमुख अपराध – 2009–2013 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध की बुद्धिमान घटनाएं और 2012 की तुलना में 2013 में प्रतिशत भिन्नता वर्ष 2012 के दौरान देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कुल 2,44,270 घटनाएं (आईपीसी और एसएलएल दोनों के तहत) दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2011 में 2,28,649 की तुलना में वर्ष 2012 के दौरान 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2008–2012 के दौरान ये अपराध लगातार बढ़े हैं, वर्ष 2008 में 1,95,856 मामले। वर्ष 2009 में 2,03,804 मामले और 2010 में 2,13,585 मामले और वर्ष 2011 में 2,28,650 मामले और वर्ष 2012 में 2,44,270 मामले। कुल आईपीसी अपराधों में महिलाओं के विरुद्ध किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात पिछले 5 वर्षों के दौरान वर्ष 2009 में 9.2% से बढ़कर वर्ष 2013 के दौरान 11.2% हो गया है।

नई दिल्ली महिलाओं की स्थिति: अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना भारतीय महिलाओं के लिए अभी भी दूर की कौड़ी है। न केवल वे सार्वजनिक हस्तियों के रूप में हाशिये पर

हैं, एक औसत भारतीय महिला घर या बाहर मुश्किल से ही अपनी भूमिका निभा पाती है। 2012 में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 74 मंत्री पदों में से केवल 8 पर महिलाओं का कब्जा था। सर्वोच्च न्यायालय में 26 न्यायाधीशों में से केवल 2 महिला न्यायाधीश थीं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 634 न्यायाधीशों में से केवल 54 महिला न्यायाधीश थीं।

मानव विकास संकेतकों पर यूएनडीपी की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों को महिलाओं के मामले में भारत की तुलना में बेहतर स्थान दिया गया है। यह अनुमान लगाया गया है: 1-5 वर्ष की आयु की भारतीय लड़की की मृत्यु लड़के की तुलना में 75% अधिक होती है। हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और सभी अपराधों में से 10% मामले दर्ज किये जाते हैं। भारत की जनसंख्या में 48% महिलाएँ हैं, राष्ट्रीय कार्यबल में केवल 29% महिलाएँ हैं, केवल 26% महिलाओं के पास औपचारिक ऋण तक पहुँच है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारतीय संस्कृति के “वेद पुराण” को दर्शाते हुए, महिलाओं की पूजा धन की देवी लक्ष्मी माँ के रूप में की जाती है सरस्वती माँ, बुद्धि के लिए शक्ति के लिए दुर्गा माँ। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 66% महिला आबादी अप्रयुक्त है। इसका मुख्य कारण मौजूदा सामाजिक रीति-रिवाज हैं। कृषि और पशु देखभाल में महिलाएँ कुल कार्यबल का 90% योगदान देती हैं। महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, लगभग 2/3 कार्य-घंटे करती हैं, विश्व की आय का 110वाँ हिस्सा प्राप्त करती हैं और विश्व की संपत्ति के 14100वें से भी कम हिस्से की मालिक हैं। दुनिया के 90 करोड़ निरक्षर लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से दो-एक है। गरीबी में रहने वाले 70% लोग महिलाएँ हैं। कम लिंगानुपात यानी 933, मौजूदा अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्वस्थ हैं, हालांकि वे एक ही वर्ग की हैं। वे

विकासशील देशों में प्रशासकों और प्रबंधकों के 1.7वें हिस्से से भी कम हैं। विश्व संसद में केवल 10% और राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में 6% सीटें महिलाओं के पास हैं। लैंगिक भेदभाव, शिक्षा का अभाव, महिला, भ्रूण हत्या, वित्तीय बाधाएं, उपलब्धि के लिए महत्वाकांक्षा का अभाव, सामाजिक स्थिति, दहेज, एक ही जाति में विवाह और बाल विवाह (अभी भी विद्यमान) महिलाओं पर अत्याचार (बलात्कार, लात मारना, हत्या करना, वश में करना, अपमानित करना लगभग घ) पारिवारिक जिम्मेदारी कम गतिशीलता जोखिम सहने की कम क्षमता, उपलब्धि की कम जरूरत।) निर्णय लेने की शक्ति, आंदोलन की स्वतंत्रता, शिक्षा, रोजगार तक पहुंच, मीडिया के संपर्क में आना, घरेलू हिंसा।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम

महिलाओं की गतिशीलता और सामाजिक संपर्क में बदलाव, महिलाओं के श्रम में बदलाव, संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण में बदलाव और निर्णय लेने पर महिलाओं के नियंत्रण में बदलाव, शिक्षा प्रदान करना, स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना, इसके अलावा अन्य। समाज को महिला शब्द के प्रति मानसिकता बदलनी चाहिए, महिलाओं को अपने क्षेत्र में विकास करने और अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ सरकारी योजनाओं की एक सूची प्रदान की है:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- महिलाओं के लिए मुद्रा ऋण
- अन्नपूर्णा योजना
- स्त्री शक्ति योजना
- देना शक्ति योजना
- भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन
- महिला उद्यम निधि योजना
- ओरिएंट महिला विकास योजना योजना

- सेंट कल्याणी योजना
- उद्योगिनी योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- सिंड महिला शक्ति योजना

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में महिलाओं की आबादी कुल आबादी का 48.5: है, समाज की बदलती गतिशीलता में महिला सशक्तिकरण बहुत प्रासंगिक और बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात के 82वें संस्करण में महिला सशक्तिकरण की बात कही है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह समाज में उनकी स्थिति को बदलने में भी सक्षम बनाती है। शिक्षा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और आत्मविश्वास पैदा करती है। स्किलिंग और माइक्रो फाइनेंस महिलाओं को आर्थिक रूप से स्थिर बना सकता है और इसलिए वह अब समाज में दूसरों पर निर्भर नहीं रहती है। महिलाओं को शिक्षा देने का मतलब पूरे परिवार को शिक्षा देना है। भारत के संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को रोकते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने में सक्षम बनाता है। चूंकि महिलाओं के बिना मानवता की प्रगति अधूरी है इसलिए लगातार सरकारों ने पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

भारत देश में सभी बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया गया है। सरकार जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन कर इस योजना को सफलतापूर्वक बढ़ावा देने में सक्षम है। यह योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले में रुपये की प्रारंभिक धनराशि के साथ शुरू की गई थी। 100 करोड़। इस योजना के शुरू होने से पहले, 2001 में पानीपत का बाल लिंग अनुपात 808 और 2011 में 837 था। इस योजना के शुरू होने के बाद पानीपत के बाल लिंग अनुपात में दिन-ब-दिन सुधार हो रहा है। कार्यक्रम के बारे

में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया है, इस योजना का लोगो सरकारी भवनों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के खंभे, पानीपत जिला न्यायालय, बस स्टैंड और पानीपत जिले के रेलवे स्टेशन आदि में बहुत आम है।

महिला सशक्तिकरण के लिए कमाई और शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं। यह संभव हो सकता है कि एक महिला अकुशल काम में शामिल हो (उदाहरण के लिए: नौकरानी) लेकिन वह अभी भी सशक्त नहीं है। इसके विपरीत, यह संभव हो सकता है कि एक महिला शिक्षित हो। लेकिन फिर भी वह सशक्त नहीं है क्योंकि वह कमा नहीं रही है। इसलिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं शिक्षित और कमाने वाली हैं, वे हमारे समाज में अशिक्षित महिला श्रमिकों की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए, कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास नामक एक योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ प्रत्येक कामकाजी महिला को जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति आदि के भेदभाव के बिना दिया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की सकल कुल आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। महानगरीय शहरों के मामले में 50,000 प्रति माह जबकि छोटे शहरों के मामले में, सकल कुल आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 35,000 प्रति माह। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन को अपनाया। महिलाओं के अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय बिल स्थापित किया है। अनुच्छेद 10 महिलाओं को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की बात करता है। भारत ने महिलाओं के उत्थान के लिए को मंजूरी दे दी है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण

आज हमने भारत की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों और योजनाओं पर ध्यान दिया है। लेकिन भारत में महिलाओं के साथ समाज के हर स्तर पर भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वह सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक

भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंच हो, और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी हो। पूरे भारत में महिलाएँ आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाई जाती हैं। कुछ महिलाएँ सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए, उन्हें पुरुषों के बराबर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम साक्षर पाई जाती हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में पुरुषों में साक्षरता की दर 76% पाई गई जबकि महिलाओं में यह केवल 54% है। अतः महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें शिक्षा बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि कुछ महिलाएँ काम करने में बहुत कमजोर हैं। वे खाना तो कम खाते हैं लेकिन काम ज्यादा करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर महिलाओं को मजबूत बनाना है। दूसरी समस्या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है। बलात्कार, लड़की का अपहरण, दहेज उत्पीड़न आदि के बहुत सारे मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें स्वयं की रक्षा करने और अपनी शुद्धता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं स्वयं को सशक्त बनाने में मदद नहीं करतीं। नारीवादी गरीबी को कम करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण में चुनौतियाँ

ऐसी कई बाधाएँ हैं जो भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को रोकती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक मानदंड और पारिवारिक संरचना, महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को प्रकट और कायम रखती है। मानदंडों में से एक लड़की के जन्म पर बेटे को प्राथमिकता देना है जो लगभग सभी समाजों और समुदायों में मौजूद है। शिक्षा, पोषण और अन्य अवसरों के संबंध में समाज लड़के के पक्ष में अधिक पक्षपाती है। इस प्रकार के रवैये का मूल कारण यह विश्वास है कि मेघालय को छोड़कर भारत में पुरुष बच्चे को वंश विरासत में मिलता है। महिलाएं अक्सर अपनी भूमिका की पारंपरिक अवधारणा को स्वाभाविक मान लेती हैं, जिससे उन पर अन्याय होता है। भारत में अधिकांश महिलाओं के

लिए गरीबी जीवन की वास्तविकता है। यह एक अन्य कारक है जो महिला सशक्तिकरण को साकार करने में चुनौती पेश करता है। ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जो भारत में महिलाओं के अधिकार के मुद्दों को परेशान कर रही हैं। इन मुद्दों को लक्षित करने से भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को सीधा लाभ होगा। शिक्षा: जहां तक शिक्षा का सवाल है, आजादी के बाद से देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर गंभीर है। जहां 82.14% वयस्क पुरुष शिक्षित हैं, वहीं भारत में केवल 65.46% वयस्क महिलाएं साक्षर मानी जाती हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह उच्च शिक्षा, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षणों में है जो महिलाओं को रोजगार और किसी भी क्षेत्र में शीर्ष नेतृत्व प्राप्त करने में बहुत प्रभावित करता है। गरीबी: दुनिया में गरीबी को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और गरीबी उन्मूलन उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए जितना कि निरक्षरता उन्मूलन। इसके कारण घरेलू सहायिका के रूप में महिलाओं का शोषण किया जाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा: महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताएं किसी देश की भलाई के लिए सर्वोपरि हैं और किसी देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को मापने में एक महत्वपूर्ण कारक है। हालाँकि, जहाँ मातृ स्वास्थ्य देखभाल का संबंध है, वहाँ चिंताजनक चिंताएँ हैं।

शोध सुझाव

रोजगार के क्षेत्र में उपलब्धि तथा शैक्षिक मोर्चे पर महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य तुलनात्मक रूप से खराब प्रतीत होता है। समय की मांग उन खामियों या सीमाओं की पहचान करना है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की प्राप्ति में बाधक हैं और यह पहल महिलाओं से ही शुरू की जानी चाहिए और साथ ही अधिक महत्वपूर्ण रूप से राज्य और समाज द्वारा नीतिगत पहल की जानी चाहिए। आइए शपथ लें कि हम एक समतावादी समाज चाहते हैं जहां हर किसी को, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अपनी भलाई और पूरे समाज की भलाई को व्यक्त करने और उत्थान करने का समान अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण कोई उत्तरी अवधारणा नहीं है, दक्षिण के देशों सहित पूरी दुनिया में महिलाएं इतिहास की शुरुआत से ही लैंगिक असमानताओं को चुनौती दे रही हैं और बदलाव ला

रही हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण प्राथमिकता महिलाओं की शिक्षा को दी जानी चाहिए, जो कि जमीनी स्तर की समस्या है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है। महिलाओं को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें पुरुषों के बराबर उचित वेतन और काम मिलना चाहिए ताकि समाज में उनका दर्जा ऊंचा हो सके। समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यक्रमों एवं अधिनियमों का कड़ाई से क्रियान्वयन होना चाहिए।

अध्ययन के निष्कर्ष

गरीबी और अशिक्षा इन जटिलताओं को बढ़ाती है, महिलाओं का सशक्तिकरण उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी से शुरू होता है। महिलाओं का सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। यह केवल महिलाओं के संपूर्ण विकास की दृष्टि से निश्चित सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अपनाने और उन्हें यह एहसास दिलाने से ही संभव हो सकता है कि उनमें मजबूत इंसान बनने की क्षमता है। एक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए, हमें महिलाओं को सशक्त बनाना शुरू करना होगा। वैश्वीकरण, उदारीकरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक ताकतों ने आबादी के एक बड़े हिस्से को कुछ राहत दी है। हालाँकि, अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ भारत में महिला सशक्तिकरण की काफी कमी है। देश में लोगों की मानसिकता में व्यापक बदलाव की जरूरत है। न केवल महिलाओं को, बल्कि पुरुषों को भी जागना होगा ताकि एक ऐसी दुनिया को जगाया जा सके जो समानता और समता की ओर बढ़ रही है। यह बेहतर है कि इसे हमारी भलाई के लिए बाद में अपनाने की बजाय पहले ही अपना लिया जाए। देश में कई सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी संगठन हैं, फिर भी संरक्षण प्राप्त लोगों और नहीं संरक्षण प्राप्त लोगों के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है।

सन्दर्भ

- डुप्लो ई. (2011) महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो, कैम्ब्रिज। ख२. भारत: महिला सशक्तिकरण – आईएफएडीओई, 2000. भारत गणराज्य तमिलनाडु महिला विकास परियोजना: समापन मूल्यांकन, रिपोर्ट 340 – आईएन रोम, अप्रैल।
- बरुआ बी. (2013) ग्रामीण सशक्तिकरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। ख४. गोस्वामी, एल. (2013)। महिला सशक्तिकरण के लिए शिक्षा. अभिव्यक्ति: वार्षिक जर्नल, 1, 17–18.
- बरुआ, बी. (2013)। पूर्वोत्तर की ग्रामीण महिला शिक्षा को सशक्त बनाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका भारत। अभिव्यक्ति: वार्षिक पत्रिका, 1, 23–26।
- कदम, आर.एन. (2012)। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण— लिंग अंतर को भरने का एक प्रयास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, 2(6), 11–13।
- नागराजा, बी. (2013)। भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस (आईओएसआर—जेएचएसएस), 9(2), 45–52
खडब्यूडब्यूडब्यू पेज,। यूआरएल ीजजचू: प्चेतरवनतदंसे.व्हहध्मउचवूमतउमदजीजउस.
- देशपांडे, एस., और सेठी, एस., (2010)। भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की भूमिका और स्थिति। इंटरनेशनल रेफर्ड रिसर्च जर्नल, 1(17), 10–12।
- किशोर, एस. और गुप्ता, के. (2009), भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएस-3) भारत, 2005–06, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, देवनार, मुंबई।
- सुगुना, एम., (2011)। भारत में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। जेनिथ: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 1(8), 19–21।
- डॉ. दासरती भुइयां “भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण: 21वीं सदी की एक चुनौती” उड़ीसा समीक्षा, 2006